

Case No-26

कोषागार प्रपत्र 209(ए)(संशोधित)
ट्रेजरी कोड-5000

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या -43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(कर्ज एवं अग्रिम की अदाएगी प्रपत्र संख्या-43 ए(2) द्वारा जमा की जायेगी)

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा :- कोषागार गोण्डा।
- 1 जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम :- ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी, जनपद न्यायाधीश गोण्डा
- 2 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) :-
- 3 जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) :- राजकीय वाहन संख्या UP43G 0414 का माह मार्च 2031 में अनुमन्य सीमा से 238 किलोमीटर अधिक निजी प्रयोग हेतु संचालित किये जाने पर रूपये 3.00 प्रति किलोमीटर की दर से GVR का भुगतान
- 4 जमा की जा रही धनराशि :- रूपये 714/-
- 5 लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/मुहर :- 0070-60-800-05-00
- 6 लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	तृतीय शीर्षक	उपशीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0 0 7 0	6 0	8 0 0	0 5	0 0	714.00

धनराशि (शब्दों में) - रूपये सात सौ चौदह मात्र

योग :-

714.00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केंद्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय
गोण्डा

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

DISTRICT JUDGE
GONDA

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

0600080

दिनांक

अंको में रू०

714

शब्दों में रू०

प्राप्त किया

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, गोण्डा-0084।
06 APR 2023
Prakash Srivastava
P.F. 1000429 हठ

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

उपकोषागार/बैंक की मुहर